न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 20/2003 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2003/00005

उनवान

1. रामसिंह पुत्र पन्नालाल
2. गोविन्द सिंह पुत्र हरी सिंह
3. महावीर पुत्र गंगावक्स
4. घन्सी पुत्र परसादी
5. मोहन सिंह पुत्र सूखा
6. बिजेन्द्र पुत्र किशन
7. पीतम पुत्र कैला

अकवाम जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 27.07.1999 प्र.संख्या 34/97 उनवानी राम सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 20.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 27.07.1999 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बयाना ने आराजी खसरा नंबर 603, 605, 612 व 615 वाके ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर

भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.1999 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर माननीय उच्च न्यायालय की आदेश दिनांक 20.03.1997 में पारित आज्ञानुसार अग्रिम कार्यवााही हेतु तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की गयी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर ने तहसीलदार के आदेश के विपरीत प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया तो निश्चयः ही तहसीलदार का आदेश निरस्त होना चाहिये था ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी खेवट एवं खुद काश्त की आराजी रही है। जिस पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु नियमित वाद भी दायर किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने नियमित वाद में धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के क्रय में आदेश दिया है कि प्रथम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.1997 की पालना की सजा तक स्थगित किया है साथ ही कोई अन्य शेष नीलामी राशि भी देने से मना किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय यने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत खण्डाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.03.2003 को नकल मिलने पर हुयी है इससे पूर्व अपीलाण्ट को कोई जानकारी उनके अभिभाषक ने नही दी अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित भूमि चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से साबित होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, पूर्णरूपेण सही है। उपरोक्त के अलावा अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः मियाद के विन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम मिंयाद के बिंदु पर विचार करना अपेक्षित है। अपीलांट पक्ष न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुति दिनांक 11.03.1997 से लगातार न्याया0 में उपस्थित रहा है। अपीलाण्ट स्वयं का दायित्व था कि वह न्यायालय की कार्यवाही से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वयं को सूचित रखे एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की जानकारी न होने का बहाना अतार्किक, असत्यभासी है। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 4 वर्ष से अधिक अवधि का विलम्ब, एक–एक दिन के विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण के अभाव में, किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपील खारिज योग्य है।

6. चूँकि अपील के गुणावगुण पर भी सुनवाई की गई है, अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 603, 605, 612 व 615 वाके ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि चारागाह भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसका संरक्षण महत्वपूर्ण है एवं अनेक न्यायिक निर्देश भी इस बाबत् जारी हो चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि पर किसी को भी कोई स्वत्व/अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की आज्ञा दिनांक 20.03.1997 से सिविल कारावास की कार्यवाही को स्थगित रहने एवं प्रकरण राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन होना बताया है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील, अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार करते हुए, तहसीलदार बयाना को विचाराधीन प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी है। यह निर्णय पूर्णतः तर्क सम्मत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुकूल है। हमें इसमें कुछ भी विधि विरूद्ध नजर नहीं आता है। अतः हम अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.07.1999 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर